कार्यालयः सचिव, जनभागीदारी समिति

कार्यालय प्राचार्य,पं.दीनदयाल उपाध्याय,शासकीय कला एवं वाणिज्य (अग्रणी) महाविद्यालय सागर (म.प्र.)
Off. 07582-236238, 07582-236283, Fax : 07582-236283, E-mail : nodalsagar@rediffmail.com

क्रमांक / 369 / अग्रणी / 2018 सागर, दिनांक : 05.09.2018

प्रति,

नाम : प्रज्ञा दुबे
पिता / पति : श्री महेश दुबे
पता : सागर (म.प्र.)

विषय :- **शासकीय महाविद्यालय खिमलासा** मे अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु आमत्रण।

संदर्भ :- 1. कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. शासन भोपाल के पत्र क्र. 1352 / 1016 / आउशि / शा-2 / 2017 भोपाल दिनांक 24 जुलाई 2018 एवं 1355 / 1016 / आउशि / शा-2 / 2017 भोपाल दिनांक 24 जुलाई 2018
2. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्रमांक 969 / एफ-1-9 / 2016 / 38-1 भोपाल दिनांक 08 / 08 / 2016
3. म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. 1-42 / 2017 / 38-1 दिनांक 26.06.2018
4. आपका मेरिट सूची क्र. 19 दिनांक 02 / 09 / 2018

—00—

सन्दर्भित आदेशो के परिपालन मे **शासकीय महाविद्यालय खिमलासा के समाजशास्त्र विषय** के रिक्त पद के विरूद्ध शैक्षणिक सत्र 2018-19 हेतु आपको निम्न शर्तो के अधीन अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु आमंत्रित किया जाता है :-

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. यह आमंत्रण शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए ही सीमित होगा।
2. आपकी व्याख्यान देने की पात्रता किसी भी समय बिना पूर्व सूचना, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त की जा सकेगी।
3. महाविद्यालय द्वारा किसी भी प्रकार का यात्रा व्यय देय नही होगा।
4. आपको महाविद्यालय में अपने मूल प्रमाण पत्रो एवं पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण / अन्य शासकीय / अर्द्धशासकीय / अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. आपको दिनांक 06 / 09 / 2018 तक या इसके पूर्व महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी।
6. दिनांक 06 / 09 / 2018 के उपरान्त उपस्थिति मान्य नही होगी।
7. अतिथि विद्वान को प्रति कार्य दिवस महाविद्यालय मे न्यूनतम 7 घण्टे की अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित कार्य संतोषप्रद रूप से निष्पादित करने होगे। साथ ही अपना आचरण एवं अनुशासन उच्च कोटी का रखना होगा। आवटित किये गये शैक्षणिक कार्य में कालखण्डो की किसी भी प्रकार की अधिकतम सीमा नहीं होगी। अतिथि विद्वान को प्राचार्य के निर्देशानुसार शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कार्य सम्पादित करने होगे।
8. किसी भी पद पर स्थानांतरण / पदस्थापना / नियुक्ति होने पर आपका आमंत्रण स्वतः समाप्त हो जायेगा।

(डॉ. प्रवीण शर्मा)
प्रभारी

I/C (डॉ. जी.एस. रोहित)
प्राचार्य

पृ. क्रमांक / .... / अग्रणी / 2018 सागर, दिनांक : 05.09.2018

प्राचार्य,
शास.कला एवं वाणिज्य अग्रणी महाविद्यालय
सागर (म.प्र.)

प्रतिलिपि :-

1. आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय सागर संभाग सागर।
3. स्थापना / लेखा शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर को सूचनार्थ।

(डॉ. प्रवीण शर्मा)
प्रभारी

(डॉ. जी.एस. रोहित)
प्राचार्य

Scanned with CamScanner

कार्यालयः सचिव, जनभागीदारी समिति, कार्यालय प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय जैसीनगर, सागर

क्रमांक/759/अग्रणी/2022 सागर, दिनांक : 01.07.2022

प्रति,

नाम	:	सुश्री प्रज्ञा दुबे
पिता/पति	:	श्री महेश दुबे
पता	:	इतवारी टौरी गांधी चौक वार्ड सागर (म.प्र.)

विषय :— शासकीय महाविद्यालय जैसीनगर, सागर मे अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु आमंत्रण।

संदर्भ :— कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा म.प्र. भोपाल का पत्र क्र. 406/171/आउशि/अतिथि विद्वान/2022 दिनांक 24.06.22

—00—

सन्दर्भित आदेश के परिपालन में सूचित किया जाता है कि आपको इस महाविद्यालय के समाजशास्त्र विषय के रिक्त पद के विरूद्ध शैक्षणिक सत्र 2022–23 हेतु आपको निम्न शर्तो के अधीन अतिथि विद्वान व्यवस्था हेतु आमंत्रित किया जाता है :—

आपका आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा :

1. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 5 घंटे प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वानों द्वारा प्रति सप्ताह न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जाना अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त ट्यूटोरियल, रेमेडियल क्लासेजज आदि मे भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय की आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यभार मे वृद्धि भी की जा सकती है।
2. यह आमंत्रण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2022–23 अर्थात 30 जून 2023 के लिए सीमित होगा।
3. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।
4. महाविद्यालय द्वारा किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नही होगा।
5. आपको महाविद्यालय मे अपने मूल मूल प्रमाण–पत्र एवं पुलिस या न्यायालय मे आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबध मे शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. आवेदक को आवंटित महाविद्यालय मे **दिनांक 01 जुलाई 2022 से 08 जुलाई 2022 कार्यालयीन समय तक** महाविद्यालय में उपस्थिति देनी होगी। निर्धारित तिथि तक उपस्थिति न देने पर आमंत्रण स्वतः निरस्त हो जावेगा।
7. आवंटित महाविद्यालय में उपस्थित होने पर मूल प्रमाण पत्रों का पुनः सत्यापन करना होगा।
8. आपको शासन के आदेश क्रमांक एफ 1–42/2017/38–1 भोपाल, दिनांक 17–12–2019 में वर्णित नियमों एवं शर्तो के अधीन अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित किया जा रहा है।
9. यह आमंत्रण माननीय उच्च न्यायालय मे अतिथि विद्वान हेतु आमंत्रित प्रक्रिया से संबंधित याचिकाओं मे पारित होने वाले माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्यधीन रहेगा।

P. Sh

(डॉ. श्रीमती प्रवीण शर्मा)
प्रभारी

(डॉ. जी.एस. रोहित)
सचिव जनभागीदारी समिति
शास. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

पृ. क्रमांक/760/अग्रणी/2022 सागर, दिनांक : 01.07.2022

प्रतिलिपि :—

1. आयुक्त महोदय, उच्च शिक्षा म.प्र. शासन सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय सागर संभाग सागर।
3. स्थापना/लेखा शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सागर को सूचनार्थ।
4. प्रभारी शासकीय नवीन महाविद्यालय जैसीनगर, जिला–सागर।

(डॉ. श्रीमती प्रवीण शर्मा)
प्रभारी

(डॉ. जी.एस. रोहित)
सचिव जनभागीदारी समिति
शास. कला एवं वाणिज्य
महाविद्यालय सागर (म.प्र.)

Scanned with CamScanner